राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 1 सितम्बर, 2009 / 10 भाद्रपद, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–2, 26 अगस्त, 2009

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0(5)214 / 2008.——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बडला, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में भवारना–जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
कांगड़ा	जयसिंहपुर	बडला	804 / 1	0–02–09
			कुल किता–1	0–02–09

शिमला–2, 26 अगस्त, 2009

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0(5)161 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कनयालकड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा में भवारना–जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
कांगड़ा	पालमपुर	कनयालकड	312 / 1	0–00–27
			कुल किता–1	0–00–27

शिमला–2, 26 अगस्त, 2009

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0(5)156 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कस्वा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा में भवारना–जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
कांगड़ा	पालमपुर	कस्वा	484	0–00–60
			कुल किता–1	0–00–60

शिमला–2, 26 अगस्त, 2009

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0(5)157 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भट्टपुरा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा में भवारना–जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
कांगड़ा	पालमपुर	भट्टपुरा	381 / 1	0–00–12
			कुल किता–1	0–00–12

शिमला–2, 26 अगस्त, 2009

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0(5)212 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव रिट, तहसील

जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में भवारना–जयसिंहपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
कांगड़ा	जयसिंहपुर	रिट	1314 / 1	0–00–52
			कुल किता–1	0–00–52

शिमला–2, 22 अगस्त, 2009

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)17 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव झिकली बडोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा में पुल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (है0) में
कांगड़ा	धर्मशाला	झिकली बडोल	22 / 1	0–00–05
			21 / 1 / 1	0–00–24
			21 / 2 / 1	0–00–18
			34 / 1 / 1	0–00–10
			कुल किता–4	0–00–57

शिमला–2, 27 अगस्त, 2009

संख्याः पी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5) 36 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कुफरी, तहसील शिमला, जिला शिमला में धामी–बैंस सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4 कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीधा–विस्वा) में
शिमला	शिमला	कुफरी	503	0–04–29
			504	0–00–52
			कुल किता–2	**0–04–81**

शिमला–2, 27 अगस्त, 2009

संख्याः पी.बी.डब्लयू(बी)एफ(5) 90 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव शामनगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा में धर्मशाला योल डाढ पालमपुर सड़क शामनगर नाले पर पुल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (वर्गमीटर में)
कांगड़ा	धर्मशाला	शामनगर	1727 / 1	77–50
			1866 / 1725 / 1	7–50
			कुल किता 2	**85–00**

शिमला–2, 26 अगस्त, 2009

संख्याः पी.बी.डब्लयू (बी)एफ (5)107 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव भासरा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 21–ए कि0 मी0 49 / 0 से 66 / 275 (नालागढ़ से स्वारघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूवर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू–अर्जन समाहर्ता (द0 क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, (द0 क्षेत्र) शिमला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा–बिस्वा)
सोलन	नालागढ़	भासरा	43	3–16
			44	3–8
			45	6–7
			47	2–1
			60	14–8
			83	5–3
			85	8–0
			कुल जोड़ किता–7	**43–13**

शिमला–2, 26 अगस्त, 2009

संख्याः पी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5)109 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव चुडगल, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 21–ए कि0 मी0 49 / 0 से 66 / 275 (नालागढ़ से स्वारघाट) के

निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते है।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू–अर्जन समाहर्ता (द0 क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, (द0 क्षेत्र) शिमला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा–बिस्वा)
सोलन	नालागढ़	चुडगल	313 / 35	0–4
			314 / 35	0–4
			315 / 35	0–7
			316 / 35	0–4
			317 / 35	0–2
			318 / 35	0–4
			17	13–9
			305 / 249	0–12
			28	8–0
			42	2–6
			221	5–0
			22	0–10
			16	2–7
			20	6–0
			25	4–13
			29	2–19
			31	3–15
			33	4–12
			243	5–16
			246	0–19
			14	4–8
			15	1–15
			30	7–0
			41	8–0
			19	1–7
			26	0–19
			27	0–8
			कुल जोड़ किता –27	**86–00**

शिमला–2, 27 अगस्त, 2009

संख्याः पी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5)118 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव जगतपुर, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 21–ए कि0 मी0 49 / 0 से 66 / 275 (नालागढ़ से स्वारघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू–अर्जन समाहर्ता (द0 क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, (द0 क्षेत्र) शिमला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा–बिस्वा)
सोलन	नालागढ़	जगतपुर	138	0–8
			272 / 139	0–13
			121	1–2
			125	0–8
			126	1–18
			136	0–10
			54	0–7
			55	0–7
			556	0–6
			60	0–8
			61	0–2
			117	1–3
			118	0–18
			114	0–10
			113	0–17
			456 / 124	1–12
			455 / 124	0–7
			115	0–13
			116	0–15
			371 / 139	0–2
			402 / 120	0–2
			530 / 401 / 120	4–2
			529 / 401 / 120	1–5
			404 / 120	0–8

409 / 137	1–4
531 / 408 / 137	0–4
532 / 408 / 137	1–9
कुल जोड़ किता–27	**22–0**

शिमला–2, 26 अगस्त, 2009

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0(5)108 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव ऊंटपुर, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में राष्ट्रीय उच्च मार्ग, 21–ए कि0 मी0 49 / 0 से 66 / 275 (नालागढ़ से स्वारघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता (द0 क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड, (द0 क्षेत्र) शिमला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (बीघा–बिस्वा) में
सोलन	नालागढ़	ऊंटपुर	17	05–14
			674 / 367	00–01
			376	00–04
			387	02–08
			366	06–06
			675 / 367	00–06
			6	04–04
			3	06–13
			12	02–05
			8	02–08
			4	02–18
			15	01–18
			5	02–02
			16	02–15
			47	03–07
			357	15–18
			386	05–01
			409	01–09
			395	03–12

	13	02—08
	418	07—01
	415	01—19
	416	02—05
	417	09—17
	359	00—15
	394	00—07
	360	00—16
	393	00—09
	389	04—00
	680 / 369	05—06
	363	10—16
	368	00—18
	364	03—05
	390	02—04
	413	12—10
	414	03—12
	681 / 369	06—01
	358	00—04
	361	02—07
	10	00—08
	कुल जोड़ किता—40	**146—17**

शिमला—2, ...अगस्त, 2009

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0(5)98 / 2009.——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बैहल, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर में कोठी—जंगल—मल्होट सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू—अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा—4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू—अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	बीघा—बिस्वा
बिलासपुर	झण्डुता	बैहल	6 / 1	0—16
			7 / 1	1—08
			9 / 1	0—13
			11 / 1	1—03

	12 / 1	0–03
	15 / 2	1–09
	16 / 1	0–09
	16 / 2	0–09
	17 / 1	0–06
	18 / 1	0–18
	29 / 1	0–19
	31 / 1	0–19
	32 / 1	0–13
	33 / 1	0–16
	60 / 2	1–09
	63 / 2	0–17
	65 / 1	0–10
	69 / 1	0–08
	कुल जोड़ किता–18	**13–03**

शिमला–2, 27 अगस्त, 2009

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0(5)126 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कुहल काटल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में टेपरा कुहल काटल डाबर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	बीघा–बिस्वा
बिलासपुर	सदर	कुहल काटल	49 / 2	2–01
			65 / 2	1–09
			67 / 2	1–15
			157 / 68 / 2	1–10
			158 / 68 / 2	0–09
			158 / 68 / 4	3–09
			181 / 72 / 1	0–05
			कुल जोड़ किता–7	**10–18**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 28*th August,* 2009

No. Ind-A(F)11-6/2003.—In partial modification of this Department's notification of even No. dated 15-2-2008 regarding constitution of Board of Directors of HP State Small Industries & Export Corporation Ltd. and in exercise of the powers conferred *vide* section 63 Memorandum of Articles of Association of HP State Small Industries & Export Corporation Ltd. the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to nominate Shri Kishan Kapoor, Hon'ble Industries Minister as Chairman of the HP State Small Industries & Export Corporation in place of Shri Prem Kumar Dhumal, Hon'ble Chief Minister with immediate effect.

By Order,
Sd/-
Principal Secretary.

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 31st *August,* 2009

No. Ayur-Ja (7)-1/97-III In supersession of this Department's Office Order of even number dated 5th February, 2004, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to notify following Purchase Policy of Ayurveda Department for procurement of ayurvedic medicines, with immediate effect :—

1. **Guiding Principles :**

(i) Every Ayurvedic Health Centre should be equipped at least with first aid facilities for all kind of diseases.

(ii) Sufficient First Aid/Dressing material should be purchased so that people residing in remote and far flung areas may not suffer for want of first aid.

(iii) Medicines for common diseases like fever, common cold, cough, bronchitis, diarrhea, dysentery, acidity, abdominal pain, joint pains, Anemia, Diabetics, hypertension etc., should be purchased in sufficient quantity.

(iv) Purchase of other medicines should be guided by an understanding of disease patterns and requirement at local level.

(v) Each year appropriate targets for medicines to be manufactured in government pharmacies shall be set and procurement of such medicines from the open market shall be made only in case of a shortfall in production.

(vi) The ratio of classical medicines procured shall be at least 60% of total purchase of ayurvedic medicine. Efforts shall be made to ensure that 70% of purchase is from pharmacies based in H.P.

(vii) In drawing up lists of patent medicines required for treatment of specific diseases, preference shall be given to reputed local manufacturers, wherever choice is to be made. Attempt will be made to ensure that at least 70% of the patent medicines purchased are from manufacturers within the State.

2. Based on the above guiding principles, a Technical Committee of the department, comprising such members as are notified from time to time shall draw up the following :—

(i) the list of diseases for which ayurvedic medicines are to be procured.

(ii) the classical medicines that are appropriate for these diseases.

(iii) from among these classical medicines, the ones that will be manufactured by the government pharmacies and the balance which will be procured by calling tenders from manufacturers within the State and from the manufacturers anywhere in India based on approximate value of expected purchases, so as to ensure that atleast 70 % medicines are purchased from local manufacturers.

(iv) the patent medicines that are relevant to specific diseases and are to be procured be listed disease-wise and divided again into those for which tenders are to be invited from manufacturers within the State and from manufacturers anywhere in India based on approximate value of expected purchases, so as to ensure that atleast 70 % medicines are purchased from local manufacturers.

3. For the classical medicines to be procured from the market and the patent medicines listed disease-wise rates shall be invited for delivery at any one place in Himachal Pradesh chosen by the manufacturer. The bidding process shall be managed by the HP State Civil Supplies Corporation Ltd., based on the categorization of medicines done by the Technical Committee. Based on the rates finalized on LI basis for both the classical medicines and the groups of patent medicines for the specified diseases, RKSs at district level and at the level of the two large hospitals (Paprola and Shimla) shall place orders keeping in view the guidelines for stocking medicines given above and the medicines being made available through the government pharmacies.

4. The Technical Committee will finalize medicines to be purchased and rate contracts by the last quarter of each financial year for the ensuing financial year. The list of medicines to be purchased and the rate contracts awarded shall be approved by a Purchase Committee comprising the following:—

(i) The Principal Secretary (Ayurveda) Chairman

(ii) The Secretary (Finance) or his nominee.

(iii) The MD or his representative, HP State Civil Supplies Corpn.

(iv) The Director, Ayurveda, HP

(v) Controller of Stores or his representative.

(vi) Five members of Technical Purchase Committee and

(vii) ACA/Section Officer (SAS) of the Ayurveda Department.

5. The following guidelines will be followed for the tendering process:—

(i) Only original Manufacturers will be allowed to participate in the tenders.

(ii) The manufacturers should have a valid manufacturing license.

(iii) The manufacturers should have valid GMP certificate at the time of tender.

(iv) The manufacturers should produce performance certificate of medicines supplied to other Government and Pvt. Dealers for the preceding 3 years.

(v) The manufacturers should supply authentic proof (balance sheet duly approved by Chartered Accountant) of volume of sales in terms of money both in private and Government Sector.

(vi) The manufacturers should submit the drug testing report of quoted medicine from a laboratory recognized by the State government or other Lab accredited by GOI.

(vii) The manufacturers should also submit a non-conviction certificate from the respective licensing authority stating that there were no market complaints against the manufacturer and he has not been convicted under any clauses of the Drug & Cosmetics Act.

(viii) The manufacturers will provide the annual sale tax statement alongwith income tax clearance certificate of the previous year.

(ix) Specified security/earnest money will accompany the tender application which will only be refunded after timely, complete and satisfactory supply of medicines and will be liable to forfeiture in case of failure to comply with the conditions of the contract.

(x) The Technical Committee notified by the Government for scrutiny of technical bids will shortlist the qualifying bidders separately for each disease and classical medicine related thereto and each disease and patent medicine related thereto based on the qualifying condition and specific parameters of performance specified from time to time in the tender documents.

(xi) Financial bids will be opened from among the suppliers which qualify in technical bids. After opening of the financial bids, the Technical Committee alongwith officers of HP State Civil Supplies Corporation will list the bidders and medicines disease wise separately for classical and patent medicines alongwith their recommendations which shall keep in mind the need to ensure price competitiveness while giving preference to local manufacturers. Recommendations that deviate from lowest price in the case of both the classical medicines listed against specific diseases and the patent medicines listed against specific diseases will be supported by reasons.

(xii) The State level Purchase Committee will approve the rate contract of the classical medicines and patent medicines disease-wise.

(xiii) Successful bidders will execute an agreement with the HP State Civil Supplies Corporation about their rate contract and will abide by any other conditions of the Corporation.

(xiv) After the finalization of the rate contracts of the classical and patent medicines for different diseases, the HP State Civil Supplies Corporation will notify them and copies will be supplied to all concerned.

6. The purchases shall be made by the RKS at district level and the RKS at the level of the two district hospitals. For this purpose, the following procures/guidelines will be followed:—

(i) The Total available funds for purchase of medicines will be allocated to each district RKS and the RKS at the level of the two large hospitals by the Director (Ayurveda) keeping in view the number of Ayurvedic Health Institutions in each district and requirement of medicines.

(ii) The concerned major hospitals or district RKS keeping in view the guidelines for stocking of medicines enumerated at para 1 above will place the order for purchase of medicines with the concerned rate contract firm with a copy to the HP State Civil Supplies Corporation Ltd.

(iii) The RKS will also send requisite funds as specified in the rate contract to the HP State Civil Supplies Corporation Ltd. to secure delivery of the purchase order.

(iv) The HP State Civil Supplies Corporation Ltd. shall be responsible for securing supplies from the concerned firm at the location specified in the rate contract and for making delivery to the concerned RKS.

(v) The supply of medicines to the RKS will be made within the maximum period finalized with the HP State Civil Supplies Corporation Ltd. Any delay attributed to the rate contract firm will result in penal action as per the rate contract agreement between the HP State Civil Supplies Corporation Ltd. and the firm. The HP State Civil Supplies Corporation Ltd. will also inform the RKS concerned so that the order is cancelled and the order can be placed with an alternate rate contract firm immediately to ensure that there is no scarcity of medicines in the institutions.

(vi) If the delay in supply within the stipulated period is attributable to the HP State Civil Supplies Corporation Ltd. then it will be liable to penal action as provided in an agreement between the Ayurveda Department and the Corporation.

(vii) The responsibilities of the HP State Civil Supplies Corporation Ltd. shall include both logistical arrangements for supply to the RKS as well as drawing of samples when receiving the supply from the manufacturers and sending them to DTL Jogindernagar for testing. Samples shall be drawn for testing as per the medicine and size of order settled in the agreement with the Department of Ayurveda.

7. **Payment to the HP State Civil Supplies Corporation Ltd.:—**

The HP State Civil Supplies Corporation Ltd. shall be responsible for the provision of two distinct services under this policy, finalizing rate contracts with the assistance of the Technical Committee and ensuring action against default in this regard and ensuring the logistics of testing and supply of medicine from the point of delivery by the manufacturer to the RKS concerned. For the first service, the Department will make available a flat fee of Rs. 5 lakh each year to the HP State Civil Supplies Corporation Ltd. For the second service, each RKS will pay 6 % of the value of the order to the HP State Civil Supplies Corporation Ltd.

By Order,
Sd/-
Pr. Secretary (Ayurveda).

सामान्य प्रशासन विभाग

एफ–अनुभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 31 अगस्त, 2009

संख्याः सा0प्र0वि0–एफ–एफ(4)–10 / 2000.––राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ''हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान योजना–1985'' के अन्तर्गत प्रदेश के जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों की सम्मान राशि को दिनांक 01–09–2009 से मुबलिग 2000 / –रुपये से बढ़ाकर मु0 4000 / –रुपये प्रतिमास तथा अन्य सभी पात्र लाभार्थियों की सम्मान राशि को मु0 2000 / –रुपये से बढ़ाकर मु0 3000 / –रुपये प्रतिमास करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की अनौपचारिक टिप्पणीः फिन(सी)ए(9)–2 / 2002, दिनांक 20–08–2009 के अनुसार जारी की जाती है ।

इस पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–60–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–200–अन्य स्कीमें–05–हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण–पैंशन–गैर योजना में से किया जाएगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव ।

———————

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 3-06-09

No. Home(A)F(10)-5/2005.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a District Crisis Management Group (DCMG) for dealing with different crisis/ emergencies within the overall framework provided by the Crisis Management Plan in pursuance of Ministry of Home Affairs, Government of India's letter No. 32-35/2003 NDM-II, dated 21/22 April, 2009 as under:—

	Members	**Composition**
1.	District Magistrate	Chairman
2.	Superintendent of Police of the	Convener-Member
3.	Additional District Magistrate	Member-Convener
4.	Representative of IB Located in the Distt	Member
5.	Representative of Central Para Military Forces Located in the District if any:	Member
6.	Commandant Home Guards:	Member

2. A District officer whose inclusion is considered necessary in the light of the emerging situation may be co-opted as a member. Where the NSG have been requisitioned for assistance, the NSG Task Force Commander may be co-opted as a Member.

3. This Group will be responsible for on-scene management of the incident/emergency. All agencies will provide resources to this Group as required. Where a specialist team is deputed by the State/Central Group, this Group will normally abide by the advice of the said specialist team; but the ultimate decision will be that of the District/State Crisis Management Group.

By Order,
Sd/-
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित